न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 331/2022 दायर दिनाँक 03.08.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बोदुराम पुत्र नन्दाराम, 2. पीथाराम पुत्र लुणाराम, 3. रिछपाल पुत्र जेठाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश प्रसाद पुत्र नानुराम, 2. जुगल किशोर पुत्र लुणाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना 3. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 16.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी बोदुराम के पिता नन्दाराम, वादी पीथाराम के पिता लुणाराम, वादी रिछपाल के पिता जेठाराम तीनो सगे भाई थे। जो स्वर्गीय बगताराम के जायन्दा पुत्र थे, नन्दाराम का स्वर्गवास वर्ष 1994 में, जेठाराम का स्वर्गवास वर्ष 1988 में व लुणाराम का स्वर्गवास वर्ष 2003 में हो चुका है। इन तीनो के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण है। सभी पक्षकारान एक ही परिवार के है। व एक ही दादा की औलाद है। तथा खसरा संख्या 562 रकबा 0.0400 हैक्टर गैर मुमकिन बाड़ा वाके मौलासर स्थित है। जिसकी वर्तमान खातेदारी राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्थान सरकार दर्ज हो गयी, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है तथा आज से 60—70 वर्ष पूर्व ही वादीगण के दादा बगताराम जी को उक्त बाड़ा जागीरदार द्वारा भेंट में दिया था, जिसमें वादीगण के दादा मवेशियों के लिये चारा रखता था तथा पशु बांधने के काम में लेता था। बगताराम की मृत्यृ के बाद इनके तीनो पुत्र नन्दाराम, लुणाराम व जेठाराम इसको बाड़े के रूप में वर्षो तक काम में लेते रहे, तथा इनकी मृत्यु के बाद इस बाड़ा पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है। तथा पक्षकारान इस बाड़ा में घास व पुस मवेशियों के लिये रखते है तथा एक छपरा बना रखा है तथा हर वर्ष इस बाड़े के चारो और बाड़ करते आये है तथा वर्तमान में इसके पट्टियों रोपकर तारबंदी की हुयी है। इस प्रकार पक्षकार इस गैर मुमकिन बाड़ा को वर्षो से अपने उपयोग व उपभोग में ले रहे है। इस गैर मुमकिन बाड़ा के चिपते ही खसरा संख्या 563 रकबा 0.0400 हैक्टर रहा है, जिसकी खातेदारी लक्ष्मीनारायण, लिलाधर व विनोद कुमार ब्राहाम्ण, निवासी मौलासर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 564 रकबा 0.0800 हैक्टर की खातेदारी मेघाराम व मोतीराम जाट, निवासी बांसा की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण के पास में जो गैर मुमकिन बाड़े थे, उनकी खातेदारी जानकारी क[illegible] से खातेदारी करवा ली लेकिन वादीगण के पुरखे भोले अ[illegible] थे, जिनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं [illegible] के पास जमाबंदी की नकल लेने के [illegible] गलत अंकन राजस्थान सरकार के [illegible] हुयी। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

कारण वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है, तथा वादीगण इस गैर मुमकिन बाड़े का गलत अंकन हटाकर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने नाम से खातेदारी करवाना चाहते है। जिसके कि ये कानूनन हकदार है। पक्षकारान का परिवार शुरू से ही संयुक्त परिवार रहा है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

इस गैर मुमकिन बाड़े का अंकन जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2012 तक, सम्वत् 2024 से 2027 तक, सम्वत् 2028 से 2031 तक दर्ज है, तथा शुरू में इस बाड़े में काश्त होती थी, जिसका इन्द्राज भी गिरदावरीयों मे सम्वत् 2012 से दर्ज है। जिनसे पक्षकारान के पुराने समय से गैर मुमकिन बाड़ा होने की बखुबी पुष्टि होती है। जमाबंदीयों की नकलें वाद के साथ पेश है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब पेश हुआ, प्रतिवादी संख्या 03 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादी बोदुराम ने अपने वाद के समर्थन में आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया, जो शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वकिल वादी ने बहस में बताया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का पिढ़ीयों से कब्जा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा संख्या 562 रकबा 0.0400 हैक्टर गैर मुमकिन बाड़ा, वाके मौलासर के वर्तमान खातेदार राजस्थान सरकार का गलत अंकन हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम से खातेदारी घोषित कि जाती है, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 331/2022 दायर दिनाँक 03.08.2022

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
1. बोदुराम पुत्र नन्दाराम, 2. पीथाराम पुत्र लुणाराम, 3. रिछपाल पुत्र जेठाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश प्रसाद पुत्र नानुराम, 2. जुगल किशोर पुत्र लुणाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान मौलासर, तहसील डीडवाना 3. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 16.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा संख्या 562 रकबा 0.0400 हैक्टर गैर मुमकिन बाड़ा, वाके मौलासर के वर्तमान खातेदार राजस्थान सरकार का गलत अंकन हटाया जाकर उसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम से खातेदारी घोषित कि जाती है, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ[illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner